52

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र), ग्वालियर के न्यायालय में

PBR/निगरानी/बड़वानी/भू.रा./2017/3138

श्रीमती अमिता पति श्री नन्दकिशोर अग्रवाल
निवासी – ओझर, तहसील राजपुर
जिला बड़वानी (म.प्र)

.....प्रार्थी

विरूद्ध

(1) हारूण पिता ईसाजी खत्री
निवासी – खलवाड़ी मोहल्ला, मदीना नगर,
सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र)
(2) अब्दुल शफीक पिता अब्दुल रफीक पटेल
(3) अब्दुल कादिर पिता अब्दुल रफीक पटेल
(4) अब्दुल आदिल पिता अब्दुल रफीक पटेल
(5) नाहिद जहाँ पति अब्दुल रफीक पटेल
(6) अब्दुल समद पिता अब्दुल हमीद पटेल
उपरोक्त सभी निवासीगण – मौलाना आजाद मार्ग,
सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र)

.....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय के सेंधवा जिला बड़वानी के द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 04/अ–6/2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24.08.2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बड़वानी/भू.रा./2017/3138

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-8-2018	आवेदिका की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदकगण की ओर से श्री जे.सी. लड्ढा, श्री टी.टी. गुप्ता एवं श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषकगण उपस्थित । अनावेदकगण के अभिभाषकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 4/अ-6/2016-17 आदेश दिनांक 6-10-2017 की प्रति प्रस्तुत की गई । चूंकि आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के जिस प्रकरण क्रमांक 4/अ-6/2016-17 अंतरिम आदेश दिनांक 24-8-2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है, उक्त प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6-10-2017 को अंतिम आदेश पारित किये जाने के कारण यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त की जाती है । अध्यक्ष	